माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक :225 /18 /एन.एस.एस./एम.एस.यू./2026–27 दिनांक: 12 /11/2026

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

02. शैक्षणिक समन्वयक, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय परिसर, सहारनपुर।

विषय– दिनांक 25.09.2026 को आहूत NCORD राज्य स्तीरय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र सं0 डिग्री विकास/1924/2026–27 दिनांक 04.11.2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति जागरूकता एवं नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय परिसर एंव महाविद्यालय में निम्नलिखित कार्यवाहियां अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें–

- नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम– विश्वविद्यालय परिसर एंव महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, रैली, संगोष्ठी, व्याख्यान एवं अन्य जन–जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इस हेतु संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाए।
- नशा मुक्ति एवं एंटी–ड्रग सेल का गठन– विश्वविद्यालय परिसर एंव महाविद्यालय परिसर में छात्र कल्याण एवं एंटी–ड्रग सेल (Student Wellness Cells) का गठन किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, नशे की रोकथाम तथा आवश्यक परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- ड्रग–फ्री जोन घोषित करना– शैक्षणिक संस्थान के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को सख्ती से ड्रग–फ्री जोन के रूप में घोषित करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा परिसर एवं उसके आसपास मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री एवं वितरण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।
- प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग– केंद्रीय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में नशे की रोकथाम हेतु सहमति आधारित (Consent-Based) प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- संवेदनशील संस्थानों की पहचान– मादक पदार्थों के प्रचलन की दृष्टि से संवेदनशील शिक्षण संस्थानों की पहचान एवं नशा मुक्ति सम्बंधी गतिविधियों के संचालन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही ''एक युद्ध नशे के विरुद्ध'' थीम पर विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का प्रचार–प्रसार– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की पाठ्य–पुस्तकों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 1933 का उल्लेख किए जाने के निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय में भी उक्त हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी सहायता प्राप्त कर सकें।
- एनसीबी विजन डॉक्यूमेंट 2026–2029 का अनुपालन– भारत सरकार द्वारा जारी नशा मुक्त भारत से सम्बन्धित विजन डॉक्यूमेंट 2026–2029 में निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी समय–सीमा का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय स्तर पर आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए तथा निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त विजन डॉक्यूमेंट की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

की आधिकारिक वेबसाइट https://ncb.gov.in/ के Media कॉलम के Publications सेक्शन से डाउनलोड की जा सकती है।

- नियमित निगरानी एवं अनुपालन– विश्वविद्यालय परिसर एंव महाविद्यालय में संचालित समस्त नशा मुक्ति गतिविधियों एवं एंटी–ड्रग सेल के कार्यों की नियमित निगरानी की जाए तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त समस्त बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए अपने महाविद्यालय में आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या (Action Taken Report) सुसंगत अभिलेखों एवं गतिविधियों के विवरण सहित विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय की इस ई–मेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयबद्ध सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– शासन द्वारा प्रेषित पत्र एवं कार्यवृत्त की छायाप्रति।

भवदीय

12-11-26

(संजीव कुमार)
सहायक कुलसचिव
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
03. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
04. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ।
05. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र के सम्बन्ध में समेकित आख्या कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी।
08. गार्ड फाईल।

सहायक कुलसचिव
राष्ट्रीय सेवा योजना

Scanned with OKEN Scanner

6942/Reg

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

मॉ शाकुम्भरी शि. नि. सहारनपुर
को AR(NSS)/NSS Coord. को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
Date 5 Month 11 Year 2026

ई – मेल

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1924 /2026 – 27 दिनांक 04/ 11/2026

139/NSS
6/11/26

विषय – दिनांक 25.09.2026 को आहूत NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या I/1512243/2026/सत्तर – 3 – 2026 – 1881827 दिनांक 03.11.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2026 के कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 के उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं में आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है –

(VIII) NMBA (नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग उ०प्र० इस हेतु नोडल एजेंसी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय / सहयोग स्थापित करते हुये अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध जन जागरूकता अभियानों का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

नशा मुक्ति जागरूकता के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत एएनटीएफ द्वारा जन भवन, लखनऊ में 30.07.2026 को महामहिम राज्यपाल, उ०प्र० की उपस्थिति में जागरूकता कार्यकम कराया गया। इसके अतिरिक्त भातखण्डे संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक–01.08.2026, डॉ० रामनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दिनांक-07.08.2026, डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक-07.08.2026, केएमसी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक-10.08.2026 तथा केजीएमयू लखनऊ में दिनांक 11.08.2026 को नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराते हुये जनमानस को नशे के विरूद्ध जागरुक किया गया।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NMBA (नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहें ताकि रामाज में नशे के विरुद्ध आगजन जागरूक रहे।

(XV) मादक पदार्थों के प्रचलन के विषय में संवेदनशील शिक्षण संस्थानों का चिन्हीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश-पत्र जारी किया गया है तथा वांछित कार्यवाही करायी जा रही है। इसके साथ ही "एक युद्ध नशे के विरुद्ध थीम पर फोकस करते हुये एनसीबी के साथ समन्वय स्थापित कर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यकम नियमित रूप से कराये जा रहे है।

अपर निदेशक, एनसीबी द्वारा सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की पाठ्य – पुस्तकों में राष्ट्रीय मानस हेल्पलाइन नंबर – 1933 का उल्लेख कराया जाना समीचीन होगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

शिक्षा विभाग के लक्ष्य

- शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को सख्त 'ड्रग-फ्री जोन' के रूप में घोषित और लागू करना।
- केंद्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों में सहमति-आधारित (consent-based) प्रीवेंटिव स्क्रीनिंग लागू करना।

Scanned with OKEN Scanner

- परिसरों में छात्र कल्याण और एंटी-ड्रग सेल (Student Wellness Cells) का गठन करना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्कूलों/कालेजों / कोचिंग संस्थानों में ड्रग्स के प्रचलन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये शैक्षिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को 'ड्रग फ्री जोन' के रूप में घोषित करने एव लागू कराने तथा केन्द्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों में डिटेरेन्स हेतु सहमति आधारित प्रवेन्टिव स्क्रीनिंग प्रभावी रूप से लागू कराना समीचीन है। इसके साथ ही शैक्षणिक परिसरों में छात्र कल्याण सेल (Student Wellness Cells) के गठन की आवश्यकता है। इस हेतु प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा वांछित प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि नशा मुक्त भारत के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी 'विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' में प्रत्येक विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी समयसीमा को गंभीरता से लिया जाये तथा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायः देखा जा रहा है कि एएनटीएफ को समय से अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जाती है. इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

'विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' की PDF प्रति एनसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ncb.gov.in/ पर Media कॉलम के Publications सेक्शन में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसे उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि अपने स्तर से भी शासन के पत्र के साथ संलग्न संलग्नकों का अवलोकन करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित वांछित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसकी अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को ससमय समेकित सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

4/11/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 1924-26 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को सूचना प्रेषित करते हुए शासन के पत्र में वांछित सूचना का अनुपालन कराते हुए समेकित अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित करने के साथ ही उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ0 (अर्जीत कुमार सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-I/1512243/2026 /सतत्तर-3-2026- 1881827

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी
विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 03-11-2026

विषय:- दिनांक 25.09.2026 को आहूत NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05. 10.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पत्र संख्या- संख्या- डीजी-सात-ANTF(एनकोर्ड मीटिंग)2023/08(6) दिनांक: 22अक्टूबर, 2026, (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2026 के कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 के निम्नलिखित बिन्दुओं में आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है -

- बिन्दु (viii) में वर्णित है कि "समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NMBA (नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा-मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहे ताकि समाज में नशे के विरुद्ध आमजन जागरूक रहे।
- बिन्दु (xv) में वर्णित है कि "समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय मानस हेल्पलाइन नं0-1933 का उल्लेख कराया जाना समीचीन होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या **निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 ,प्रयागराज के माध्यम से** शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 03-11-2026 18:42
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक ,एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

प्रथम तल टावर-03, पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्र संख्याः डीजी-सात-ANTF(एनकॉर्ड मीटिंग)2023/08(6) दिनांक- अक्टूबर 28, 2026

1161/सत्तर-3-2026

सेवा में,

संख्या 467/ACSHED/2026
VS(SKS)

अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2026 को सम्पन्न हुई थी। बैठक का कार्यवृत दिनांक 05.10.2026 (छायाप्रति संलग्न) के निम्नलिखित बिन्दुओं में आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है --

- बिन्दु (viii) में वर्णित है कि " समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NMBA (नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा-मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहे ताकि समाज में नशे के विरूद्ध आमजन जागरूक रहे।"
- बिन्दु (xv) में वर्णित है कि " समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट की पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय मानस हेल्पलाइन नं0-1933 का उल्लेख कराया जाना समीचीन होगा।"

563/VS(S)/HE/26 अतः उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

महत्वपूर्ण

JS(S)

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

(संदीप कुमार सिंह)
विशेष सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-09, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

S.O.3
28/10/26

NSS
29.10.2026

अ0सचिव (C)
30/10/26

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

प्रथम तल (टावर 03), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्या:DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(5) दिनांक-अनुरूपा, 05 2026

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए,
उत्तर प्रदेश।

3-अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश।

4- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

5- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

8- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

9- प्रमुख सचिव, राज्यकर विभाग,
उत्तर प्रदेश।

10- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/
बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

11- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

12- परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज
(UPSACS), उत्तर प्रदेश।

13- निदेशक, अभियोजन,
उत्तर प्रदेश।

14- निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

15- आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

16- ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई,
उत्तर प्रदेश।

17- अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी),
उत्तर प्रदेश।

18- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल,भारतीय डाक,
उत्तर प्रदेश।

19- ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी,
उत्तर प्रदेश।

20- ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ
बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/ एसएसबी, लखनऊ।

21- संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22- उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन,
उत्तर प्रदेश।

23- डीआईजी आरपीएफ,
उत्तर प्रदेश।

24- स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड
ड्रग एडमिनिशट्रेशन,उत्तर प्रदेश।

25- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी,
महानगर, लखनऊ।

26-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उत्तर प्रदेश।

27- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, दिल्ली।

28- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, देहरादून।

29- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी,
धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।

विषय: दिनांक-25.09.2026 को आहूत NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2026 को सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन के अनुमोदनोपरान्त इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि NCORD राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 05.10.2026 का अनुपालन कराते हुये, अनुपालन आख्या अतिशीघ्र एएनटीएफ की ई-मेल आईडी- ig-antf.lko@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः कार्यवृत्त।

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 01C

प्रतिलिपिः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/10/26
06 PM

Scanned with OKEN Scanner

नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2026 की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2026 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :

1. श्रीमती कामिनी चौहान रतन, प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनुराग यादव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. मीनू चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ फ्रन्टियर, एस0एस0बी0।
4. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
5. डॉ0 आदर्श सिंह, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
6. श्रीमती किंजल सिंह, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7. श्री जगदीश, सचिव गृह, उ0प्र0 शासन।
8. श्री एस0डी0 शेरकुमार, डीआईजी, एस0एस0बी0 लखनऊ।
9. श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. श्री राकेश कुमार मालपाणि, विशेष सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
11. श्री बद्री नाथ सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक, एएनटीएफ उ0प्र0।
13. श्री ललित मुदगल, निदेशक अभियोजन।
14. श्री आर0पी0 शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा।
15. श्री श्री पति पाण्डेय, क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0बी0, गोरखपुर/लखनऊ।
16. श्री प्रवीण कुमार बाली, उप नारकोटिक्स आयुक्त, सी0बी0एन0 लखनऊ।
17. डॉ0 कुलप्रकाश सिद्वार्थ, सहायक निदेशक, एन0सी0बी0 लखनऊ।
18. श्री देवांश शुक्ला, सीनियर डी0एस0सी0 आरपीएफ।
19. श्री पियूष थोराट, डिप्टी डायरेक्टर,इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लखनऊ।
20. श्री पी0के0 श्रीवास्तव, असिस्टेंट डायरेक्टर,एस0आई0बी0, लखनऊ।
21. श्री यशलोक दत्त, डिप्टी डायरेक्टर, डी0आर0आई0 लखनऊ।
22. श्री रावत अखिलेश कुमार, डी0सी0आई0ओ0,एस0आई0बी0, लखनऊ।
23. श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्य निषेध अधिकारी उ0प्र0।
24. सुश्री उर्मिला अग्रवाल, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग।
25. श्री कौशलेन्द्र प्रताप चौधरी, पी0एम0जी0 आफिस, लखनऊ।
26. श्रीमती आभा रानी, वैज्ञानिक अधिकारी, एफ0एस0एल0, लखनऊ।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत कर पूर्व राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्देशों का विभागवार अनुपालन प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक 22.06.2026 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन :

i. निर्देशानुसार एनकार्ड जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी जनपदों को जनपदीय बैठकों हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दु प्रेषित किये जा चुके हैं। वर्ष 2025 में 846 तथा

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष–2026 में अब तक (अगस्त–2026 तक) 563 जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गयी हैं। 22 जनपदों–जनपद महोबा, संतकबीर नगर, बलिया, कमिश्नरेट आगरा, जनपद शाहजहाँपुर, सम्भल, अमेठी, बहराइच, मेरठ, बागपत, शामली, बरेली, रामपुर, अमरोहा, अलीगढ़, एटा, इटावा, खीरी, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर व कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा द्वारा इस वर्ष अब तक निर्धारित संख्या से कम बैठकें की गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी जनपदों में बैठकें नियमित रूप से आयोजित करायी जायें एवं जिन जनपदों में अपेक्षाकृत कम बैठकें आयोजित की गयी हैं, उनको इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जायें कि उनके स्तर से निर्धारित बैठकें पूर्ण करायी जायें। प्रत्येक बुधवार मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में होने वाली जनपदीय अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक में रखे जाने हेतु ऐसे जनपदों की सूची तत्काल प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF/जनपदीय पुलिस)

ii. पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जनपदों द्वारा नियमित रूप से हॉट–स्पॉट पर नियमित निगरानी रखते हुये इसकी संवेदनशीलता को कम करने के बेहतर उपाय किये जाने के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रदेश में विगत 10 वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की जब्ती के आधार पर 10 जनपद हॉट–स्पॉट के रूप में चिन्हित किये गये हैं। इस प्रकार हॉट–स्पॉट के रूप में चिन्हित प्रत्येक जनपद को 20 हाई वैल्यू टारगेट चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चिन्हित किये गये हॉट स्पॉट पर नियमित निगरानी रखते हुये उसकी संवेदनशीलता को कम करने के हरसंभव बेहतर उपाय निरन्तर किये जायें व नये हॉट–स्पॉट भी चिन्हित किये जायें।

(कार्यवाही– ANTF/समस्त पुलिस कमि0/जनपदीय पुलिस)

iii. प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध कार्यवाही कर अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व बैठक के निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि इस हेतु समस्त कमिश्नरेट व जनपदों को अधिकाधिक बरामदगी व गिरफ्तारी कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपदीय पुलिस द्वारा वर्ष–2025 में 49,872.22 किलोग्राम तथा वर्ष–2026 (अगस्त तक)32,768.05 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी है। एएनटीएफ द्वारा वर्ष 2025 में 12,810.61 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी है जिसका अनुमानित मूल्य 148 करोड़ 57 लाख 65 हजार रू0 है तथा वर्ष–2026 (अगस्त तक)8,135.52 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी है, जिसका अनुमानित मूल्य 140 करोड़ 62 लाख 80 हजार 680 रू0 है।

अध्यक्ष महोदय को यह भी अवगत कराया गया कि विगत 03 वर्षों के दौरान हुई बरामदगी के विश्लेषण से पाया गया कि परम्परागत ड्रग्स के प्रचलन में निरन्तर कमी तथा सिन्थेटिक ड्रग्स(मेथाम्फेटामाइन, मेफेड्रोन) व हाइड्रोपेनिक वीड्स के प्रचलन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अवैध मादक पदार्थों के परिवहन व तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराते हुये अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF/NCB/ जनपदीय पुलिस)

iv. अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रदेश में मादक पदार्थों का निस्तारण नियमित रूप से राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा चिह्नित उद्योग संस्थानों में स्थापित इंसीनरेटर के माध्यम से कराया जाता है। एएनटीएफ के गठन के पश्चात् वर्ष 2022 से अब तक (अगस्त 2026) कुल 4,37,902 किलोग्राम मादक पदार्थों का निस्तारण/डिस्पोजल कराया जा चुका है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1925 करोड़ रू0 है। यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों एवं कमिश्नरेट में मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण/निस्तारण हेतु विशेष अभियान "ऑपरेशन दहन" संचालित करते हुये अधिकाधिक निस्तारण की कार्यवाही करायी जा रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मादक पदार्थों के निस्तारण/डिस्पोजल की कार्यवाही निर्धारित एसओपी का अनुपालन करते हुए नियमानुसार करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF/NCB/ जनपदीय पुलिस/कमिश्नरेट)

v. पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत निरूद्धीकरण एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की अधिकाधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रदेश पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत वर्ष–2025 में 04 अभियुक्तों तथा वर्ष–2026 में अब तक 38 अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधादेश पारित कराया गया है। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत वर्ष–2025 में 01 प्रकरण में लगभग 2.4 करोड़ रू0 तथा वर्ष–2026 में अब तक 38 प्रकरणों में लगभग 68.53 करोड़ रू0 की सम्पत्ति का जब्तीकरण कराया गया है। एएनटीएफ द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2025 में 15 अभियुक्तों तथा वर्ष 2026 में अब तक 33 अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधादेश पारित कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत वर्ष 2025 में 28 प्रकरणों में लगभग 8.6 करोड़ रू0 तथा वर्ष 2026 में अब तक 50 प्रकरणों में लगभग 9.6 करोड़ रू0 की सम्पत्ति का जब्तीकरण कराया गया है।

इस प्रकार वर्ष–2025 में 19 अभियुक्तों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस की कार्यवाही के सापेक्ष वर्ष–2026 में अब तक 71 अभियुक्तों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत निरोधादेश पारित कराया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत वर्ष–2025 में 29 प्रकरणों में 11 करोड़ रू0 की अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण के सापेक्ष वर्ष–2026 में अब तक 88 प्रकरणों में 78 करोड़ रू0 की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण प्रदेश में कराया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट/जनपदों के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा राजकीय रेलवे पुलिस के समस्त पुलिस अधीक्षकों को अपने–अपने कार्य क्षेत्र में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ में सम्पत्ति जब्तीकरण कराने हेतु मुख्यालय स्तर से निर्देश निर्गत किये गये हैं।

Scanned with OKEN Scanner

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा-68 ई व एफ के अन्तर्गत अधिकाधिक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही-गृह विभाग/ANTF/NCB/ जनपदीय पुलिस/रेलवे पुलिस)

vi. प्री-कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्री-कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस से सम्बन्धित अवैध डायवर्जन को नियन्त्रित करने हेतु एनसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी 57 कम्पनियों के मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, ट्रांसपोर्टर्स की बैठक की जा चुकी है। एएनटीएफ द्वारा प्री-कर्सर रसायन, नशीली दवायें एवं एसिटिक एनहाईड्राइड के अवैध डायवर्जन को रोकने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग(GST) की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। निर्देशानुसार अन्य अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्री-कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु वांछित अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही-राज्य कर विभाग(GST)/ANTF/NCB/CBN/FSDA)

vii. पूर्व बैठक में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये एएनटीएफ द्वारा राज्य स्तर पर अपेक्षित डैशबोर्ड की संरचना तैयार किये जाने के निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एनसीबी, सीबीएन, एफएसडीए, एफएसएल, डीआरआई, जीएसटी, आबकारी विभागों से प्राप्त इनपुट/आउटपुट डेटा के आधार पर एकीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु डैशबोर्ड का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। जल्द ही इसे अन्तिम रूप देते हुये शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अपेक्षित डैशबोर्ड तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाये ताकि अनुमोदनोपरान्त उक्त सम्बन्धित विभागों के मध्य एकीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु इसे कियाशील बनाया जा सके।

(कार्यवाही-ANTF/गृह विभाग/NCB/CBN/DRI/FSDA/FSL/GST/आबकारी)

viii. NMBA(नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 इस हेतु नोडल एजेंसी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय/सहयोग स्थापित करते हुये अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध जन जागरूकता अभियानों का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

नशा-मुक्ति जागरूकता के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत एएनटीएफ द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। इसके अतिरिक्त भातखण्डे संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक-01.08.2026, डॉ0 रामनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दिनांक-07.08.2026, डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक-07.08.2026, केएमसी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक-10.08.2026 तथा केजीएमयू, लखनऊ में दिनांक-11.08.2026 को नशे के विरूद्ध जागरूकता

कार्यक्रम का आयोजन कराते हुये जनमानस को नशे के विरूद्ध जागरूक कि. गया।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NMBA(नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा–मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहें ताकि समाज में नशे के विरूद्ध आमजन जागरूक रहे।

(कार्यवाही–गृह विभाग/समाज कल्याण/आबकारी/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/एनसीबी/ANTF/जनपदीय पुलिस)

ix. एएनटीएफ के 06 थानों हेतु आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत सर्वाधिक लम्बित वादों वाले 25 जिलों में उक्त वादों के ट्रायल हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 25 एक्सक्लूसिव न्यायालयों का गठन किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रमुख सचिव, न्याय अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्र संख्या–671/सात–न्याय–दो–2026–159जी/96टीसी0–1 दिनांक–28.07.2026 के माध्यम से 25 एक्सक्लूसिव न्यायालयों हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों के पद सृजित किये जा चुके हैं।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि गृह विभाग के स्तर से अनुश्रवण कराते हुये एएनटीएफ के 06 थानों हेतु आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये मानकीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये तथा गृह विभाग द्वारा न्याय विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय से अपेक्षित समन्वय स्थापित कर 25 एक्सक्लूसिव न्यायालयों का गठन यथाशीघ्र कराने हेतु कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/न्याय विभाग/ANTF)

x. नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराने के पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2026 में माह जनवरी 2026 से जून 2026 तक 2,642 कार्यक्रम आयोजित करते हुए 1,50,711 व्यक्तियों को मादक पदार्थों का सेवन न किये जाने सम्बन्धी शपथ दिलाई गयी एवं वर्ष 2026 में माह जून तक जिला स्तरीय समिति की कुल–418 बैठकें आयोजित की गयी है।

प्रदेश में भांग की लाइसेंसी दुकानों हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन कर इन्हें सीमित किये जाने के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से समीक्षा करते हुए भांग की लाइसेंसी दुकानों की संख्या को निरन्तर सीमित किया जा रहा है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किया जाये एवं प्रदेश में भांग की लाइसेंसी दुकानों को क्षेत्रीय आवश्यकता के आकलन अनुसार अधिकाधिक सीमित किया जाये।

(कार्यवाही–आबकारी विभाग)

xi. अवैध मादक पदार्थों के परिवहन व तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश के क्रम में एनसीबी द्वारा अवगत कराया गया कि जोनल यूनिट लखनऊ द्वारा लखनऊ में सक्रिय 4 प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्कों की पहचान की गयी है जिनके

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध जॉच कार्यवाही प्रचलित है तथा मादक पदार्थों के सागयबद्ध विनष्टीकरण के सम्बन्ध में नियमित रूप से फॉलो–अप किया जा रहा है।

पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई/एफ के अर्न्तगत कार्यवाही की जा रही है। प्री–कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस के दुरूपयोग की रोकथाम एवं प्रभावी रोकथाम नियन्त्रण हेतु तथा इस सम्यन्ध में अपेक्षित डैशबोर्ड तैयार किये जाने के सम्बन्ध में एनसीबी द्वारा आवश्यक इनपुट/सुझाव समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत किये जा रहे है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने एवं पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई/एफ के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–NCB)

xii. प्री–कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सब्सटेंस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के कम में सी0बी0एन0 द्वारा बताया गया कि जीएसटी कमेटी के निर्देशन में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में अवैध खेती का जीपीएस आधारित डाटा के आधार पर स्थलीय सत्यापन हेतु कार्यवाही की जा रही है। सीबीएन एवं सेन्ट्रल एकोनॉमिक इन्टेलीजेंस ब्यूरो (CEIB) द्वारा एक व्हॉट्स–अप नंबर जारी किया गया है जिसमें अवैध खेती की ईमेज अपलोड करने का प्राविधान है। बताया कि फसल–वर्ष 2026–2027 के लाइसेंस वितरण की प्रकिया सितम्बर–2026 से प्रारम्भ होगी तथा बुआई नवंबर–2026 से प्रारम्भ होती है। 2026–2027 में सीबीएन द्वारा वितरित लाइसेंस की पैमाईश एवं जीपीएस कोआर्डिनेट्स प्राप्त करने का कार्य जनवरी–फरवरी 2027 में कराया जायेगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अफीम की अवैध खेती का जीपीएस आधारित डाटा के आधार पर स्थलीय सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही–सी0बी0एन0)

xiii. प्रदेश में अफीम की खेती के स्थलीय सत्यापन हेतु कृषि विभाग से जीपीएस आधारित रियल टाइम डाटा प्राप्त करने हेतु AgriStack पोर्टल का एक्सेस एएनटीएफ को प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त एक्सेस एएनटीएफ को प्रदान हेतु अपेक्षित कार्यवाही कृषि विभाग के स्तर से की जानी है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–कृषि विभाग /ANTF)

xiv. मादक पदार्थ से पीड़ित युवाओं की कांउसलिंग कर उनका पुनर्वास के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश में कुल–53 केन्द्र संचालित है। इनमें व्यसनियों हेतु एकीकृत एवं पुनर्वास केन्द्र–21, जिला नशा मुक्ति केन्द्र–17, आउटरीच ड्रॉप सेंटर–10, कम्यूनिटी बेस्ड पीयर लेड इन्टरवेंशन–05 हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में लगभग 250 निजी/गैर अनुदानित नशा मुक्ति केन्द्र भी संचालित है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि उक्त नशा मुक्ति केन्द्रों को मेन्टल हेल्थ एक्ट–2017 के प्राविधानों के अनुरूप पंजीकरण एवं

Scanned with OKEN Scanner

इनकी सेवाओं को गुणवत्तापूर्वक व मानकों के अनुरूप संचालित कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

NMBA के अन्तर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शिक्षण संस्थानों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कार वितरण, प्रचार शिविरों, प्रदर्शन कक्षों एवं रैलियों का आयोजन, वाल पेन्टिंग्स/होर्डिंग्स की स्थापना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार, सेमीनार का आयोजन, कार्यक्रमों में नशे के विरूद्ध शपथ, आकाशवाणी के एफएम रैनबो एवं मोबाइल एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रचार कार्य निरन्तर कराये जा रहे है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नशा मुक्ति केन्द्रों का नियमानुसार उचित संचालन एवं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से कराये जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग)

xv. मादक पदार्थों के प्रचलन के विषय में संवेदनशील शिक्षण संस्थानों का चिन्हीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बताया गया कि उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश-पत्र जारी किया गया है तथा वांछित कार्यवाही करायी जा रही है। इसके साथ ही "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" थीम पर फोकस करते हुये एनसीबी के साथ समन्वय स्थापित कर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से कराये जा रहे है।

अपर निदेशक, एनसीबी द्वारा सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय मानस हेल्पलाइन नंबर-1933 का उल्लेख कराया जाना समीचीन होगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/गृह विभाग)

xvi. पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत अभ्यस्त अपराधियों के निरूद्धीकरण हेतु प्रस्ताव एएनटीएफ द्वारा प्रेषित करने के उपरान्त प्रकिया में काफी समय व्यतीत होता है। इस कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी (जनपदीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त)के स्तर से अनुमोदन में लगने वाले अत्यधिक समय के कारण पिट एनडीपीएस के निरोधादेश निर्गत करने में विलम्ब होता है। अतः माननीय मुख्य सचिव महोदय की जनपदीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक में इस बिन्दु को रखा जाना समीचीन होगा।

पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की प्रकिया के सरलीकरण हेतु अन्य राज्य सरकारों की प्रकिया का अनुशीलन करते हुये विशेषकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रकिया के आलोक में प्रदेश में भी पिट एनडीपीएस के प्रकरणों के निस्तारण की प्रकिया का निर्धारण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, ताकि कम समय में निरोधादेश पारित कराया जा सके।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु जनपदीय अधिकारियों (मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी) की साप्ताहिक बैठक में गृह विभाग द्वारा इस बिन्दु को सम्मिलित किया जाये।

पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु वांछित प्रस्ताव तैयार कर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से वार्ता/आवश्यक निर्देश के उपरान्त गृह विभाग को अनुशीलन हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– ANTF/गृह विभाग)

मादक पदार्थ नियन्त्रण हेतु विजन दस्तावेज(2026–2029) के बिन्दुओं पर चर्चा:–

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य हेतु भारत सरकार द्वारा विजन दस्तावेज में 4 मुख्य स्तम्भ रखे गये है।

1-Enfocement, Intelligence & Operations.
2-Precursors & Synthetice Drug Control.
3-Demand & Harm Reduction
4-Capacity Building & Coordination.

उपरोक्त के अन्तर्गत विभिन्न विभागों व लॉ इन्फोर्समेंन्ट एजेन्सियों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो इस प्रकार है:–

गृह मंत्रालय (MHA) / NCB के लक्ष्य

- स्तरीय NCORD (नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर) की कड़ी निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करना
- उच्च न्यायालयों (High Courts) के सहयोग से विशेष NDPS फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करना
- राज्य ANTF में समर्पित डार्क नेट और क्रिप्टो मॉनिटरिंग सेल्स का विस्तार करना
- टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन (1933) का प्रभावी संचालन और जन-जागरूकता अभियान चलाना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा 4 स्तरीय एनकॉर्ड संरचना(शीर्ष स्तर, कार्यकारी स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर) के माध्यम से समग्र नीतिगत दिशा–निर्देशन, रणनीतिक पर्यवेक्षण, अन्तर–मंत्रालयी समन्वय तथा निगरानी निरन्तर की जा रही है। शासन के आदेश दिनांक–28.07.2026 के माध्यम से 25 एक्सक्लूसिव न्यायालयों हेतु कार्मिकों के पद सृजित किये जा चुके हैं, विशेष न्यायालय गठित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। एएनटीएफ में समर्पित डार्कनेट एवं किप्टो मॉनिटेरिंग सेल सम्बन्धी कार्य प्रचलित है तथा राज्य एटीएस के समन्वय/सहयोग से सम्बन्धित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही की जाती है। एनसीबी द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय हेल्पलाईन–1933 का प्रभावी संचालन निरन्तर कराया जा रहा है तथा इस हेतु जागरूकता कार्यक्रमों में आमजन को हेल्पलाईन नंबर–1933 का उचित उपयोग किये जाने हेतु जानकारी प्रदान की जा रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु गृह विभाग द्वारा न्याय विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय से अपेक्षित समन्वय स्थापित कर 25 एक्सक्लूसिव न्यायालयों का गठन यथाशीघ्र कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा राष्ट्रीय हेल्पलाईन–1933 का प्रभावी संचालन व जागरूकता नियमित रूप से करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/NCB/ANTF)

Scanned with OKEN Scanner

NCB/FSDA के लक्ष्य

- मेथ (Meth) और मेफेड्रोन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के प्रीकर्सर केमिकल्स की रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग।
- साइकोट्रॉपिक और फार्मास्युटिकल प्रीकर्सर पदार्थों के अवैध डायवर्जन (दवाओं के गलत इस्तेमाल) पर सख्त निगरानी रखना।
- वैध औद्योगिक सप्लाई चेन से रसायनों के अवैध डायवर्जन को रोकने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन (Voluntary Compliance)।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मेथ और मेफेड्रोन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के प्रीकर्सर केमिकल रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग की निरन्तर आवश्यकता है। इस हेतु प्रमुख सचिव, जीएसटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के कम में एनसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी 57 कम्पनियों के मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, ट्रांसपोर्टर्स की बैठक की जा चुकी हैं। अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

साइकोट्रापिक एवं फार्मास्युटिकल प्रीकर्सर पदार्थों के अवैध डायवर्जन (ट्रामाडोल, डॉयजापाम) पर सख्त निगरानी एवं वैध औद्योगिक सप्लाई चेन से रसायनों के अवैध डायवर्जन को रोकने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन निरन्तर किये जाने की आवश्यकता है। एनसीबी/एफएसडीए द्वारा ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सख्त निगरानी व अनुपालन निरन्तर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–NCB/FSDA/ANTF)

राज्य पुलिस और ANTF के लक्ष्य

- एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को पूर्णकालिक, समर्पित और जवाबदेह इकाइयों में रूपांतरित करना।
- सभी कमर्शियल और बड़े NDPS मामलों में अनिवार्य वित्तीय जांच (Financial Investigation) लागू करना।
- बॉर्डर, पोर्ट, एयरपोर्ट और ग्राम-स्तरीय अपराध मैपिंग के साथ प्रभावी कम्युनिटी पुलिसिंग करना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एएनटीएफ द्वारा पूर्णकालिक, समर्पित एवं जवाबदेही इकाई के रूप में कार्य किया जा रहा है। कामर्शियल मात्रा के सभी एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित भामलों में वित्तीय जॉच करायी जा रही है तथा जनपदीय पुलिस से समन्वय/सहयोग के माध्यम से अपराध मैपिंग, प्रभावी कम्युनिटी पुलिसिंग तथा कस्टम विभाग से भी निरन्तर समन्वय स्थापित किया जाता है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वांछित कार्यवाही निरन्तर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–जनपदीय पुलिस /ANTF)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राजस्व विभाग के लक्ष्य

- PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत ड्रग्स से अर्जित अवैध संपत्ति (Proceeds of Crime) की ट्रेकिंग करना।

Scanned with OKEN Scanner

- अपराधियों की संपत्तियों को त्वरित रूप से फ्रीज करना और सरकार के पक्ष में जब्त (Forfeiture) करना।
- राजस्व विभाग द्वारा NDPS अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और लूपहोल्स की समीक्षा व संशोधन करना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रवर्तन निदेशालय एवं राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। एनडीपीएस अधिनियम के कानूनी प्राविधानों और लूपहोल्स के सन्दर्भ में एएनटीएफ द्वारा हाइड्रोपोनिक वीड हेतु कामर्शियल मात्रा 1 किलोग्राम निर्धारित किये जाने तथा कोडीन बेस कफ सीरप के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या–826(E) दिनांक–14.11.1985 व S.O.40(E) के क्रमांक 35 में "Established in Therapeutic Practice" के स्थान पर "Established and Used for Therapeutic Purpose" किये जाने का सुझाव दिया गया है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वांछित कार्यवाही निरन्तर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–प्रवर्तन निदेशालय/राजस्व विभाग)

समाज कल्याण विभाग /स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्य

- 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) का देश के सभी जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों तक विस्तार करना।
- जयीनी स्तर पर सामुदायिक परामर्श केंद्रों (Community Counseling Centers) की क्षमता बढ़ाना।
- देश भर में नशा मुक्ति, उपचार और क्लीनिकल पुनर्वास बुनियादी ढांचे (De-addiction infrastructure) को मजबूत करना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि NMBA(नशा मुक्त भारत अभियान) के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 इस हेतु नोडल एजेंसी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय/सहयोग स्थापित करते हुये अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध जन जागरूकता अभियानों का संचालन एवं पर्यवेक्षण पूरे प्रदेश में किया जाता है।

प्रदेश में व्यसनियों हेतु 21 एकीकृत एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जिनकी क्षमता बढाये जाने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति, उपचार और क्लीनिकल पुनर्वास हेतु प्रदेश के जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और अधिक सुदृढ किया जाना समीचीन होगा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग)

शिक्षा विभाग के लक्ष्य

- शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को सख्त 'ड्रग-फ्री जोन' के रूप में घोषित और लागू करना।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

- केंद्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों में सहमति-आधारित (consent-based) प्रीवेंटिव स्क्रीनिंग लागू करना।
- परिसरों में छात्र कल्याण और एंटी-ड्रग सेल (Student Wellness Cells) का गठन करना।

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्कूलों/कालेजों/कोचिंग संस्थानों में ड्रग्स के प्रचलन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये शैक्षिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को 'ड्रग फ्री जोन' के रूप में घोषित करने एवं लागू कराने तथा केन्द्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों में डिटरेन्स हेतु सहमति आधारित प्रवेन्टिव स्कीनिंग प्रभावी रूप से लागू कराना समीचीन है। इसके साथ ही शैक्षणिक परिसरों में छात्र कल्याण सेल(Student Wellness Cells) के गठन की आवश्यकता है। इस हेतु प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा वांछित प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि नशा मुक्त भारत के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी 'विजन डॉक्यूमेंट 2026–2029' में प्रत्येक विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी समयसीमा को गंभीरता से लिया जाये तथा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायः देखा जा रहा है कि एएनटीएफ को समय से अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जाती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

'विजन डॉक्यूमेंट 2026–2029' की PDF प्रति एनसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ncb.gov.in/ पर Media कॉलम के Publications सेक्शन में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसे उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–NCB/FSDA/ED/ANTF/जनपदीय पुलिस/समाज कल्याण/स्वास्थ्य विभाग/राजस्व विभाग/शिक्षा विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

03/10/26

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,

प्रथम तल(टावर–3), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023/8(4) दिनांकःजून , 2026

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0
6. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
7. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन।
14. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
15. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
16. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
17. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
18. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उ0प्र0।
19. स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
20. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।
21. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।
22. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
23. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
24. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
25. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
26. परियोजना निदेशक, यू0पी0एस0ए0सी0एस0।
27. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner